

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह आर.ए.एस  
अपील संख्या 77/2025 एल आर एक्ट (GCMS No 2025/84)  
अनवान हारून बनाम कमला देवी वगैरह,  
अपील विरुद्ध आदेश- उपखण्ड अधिकारी चूरु प्रकरण संख्या 45/2022 दिनांक 05.07.2022

| .तारीख     | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज  | नम्बर व तारीख<br>अहकाल जो इस<br>हुक्त की तामील में<br>जारी हुए |
|------------|--|--|
| 09.03.2026 | <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्त अनुपस्थित। अपीलान्त हारून स्वय अनुपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 6 के अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्त एवं अपीलान्त हारून को रूक - रूक कर आवाज लगवाई गई बावजूद आवाज के वे न तो स्वय उपस्थित आये और न ही उनकी ओर से कोई वैधानिक प्रतिनिधी उपस्थित आये। अतः यह पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">19/3/26<br/>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त<br/>बीकानेर</p> | <p>153-154<br/>1.4.26</p>                                      |